न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण Gcms No 2022/56
दायरा तिथि : 07.02.2022
आदेश तिथि: 08-08-25

प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कमलादेवी पत्नी मनरूपराम
2. कस्तुरमल पुत्र मनाराम
3. गणेशराम पुत्र हरजीराम जातिगण मेघवाल
4. देवाराम पुत्र नारायणलाल जाति कुम्हार
5. नगाराम पुत्र सदाराम
6. निरमादेवी पत्नी भूराराम
7. पंकीदेवी पत्नी नारायणलाल
8. फुलीदेवी पत्नी हरजीराम जातिगण मेघवाल निवासीगण सेसली
9. बाबुलाल पुत्र भीकाराम
10. भमरी पत्नी बाबुलाल जातिगण मेघवाल निवासीगण सादडा
11. महेन्द्रकुमार पुत्र मुलाराम
12. हंजादेवी पत्नी नारायणलाल
13. हरजीराम पुत्र पोमाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण सेसली

–:: आदेश ::– दिनांक : 08-08-25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 852 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मौके पर 0.12 हैक्टर में प्लास्टिक रिसाईकिल की फैक्ट्री लगी हुई है जो चालु स्थिति में है तथा एक शराब की दुकान (ढाबा) लगी हुई है एवं शेष रकबे में प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने के बाद अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर देने के बावजूद अप्रार्थीगण अधिवक्ता जवाब पेश करने में विफल रहने पर इनके जवाब अवसर को बंद किया गया। अप्रार्थीगण को भूमि संपरिवर्तन के संबंध में कमी पूर्ति करने हेतु नगरपालिका बाली द्वारा सूचित किये जाने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा नगरपालिका बाली में संपरिवर्तन से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 852 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मौके पर 0.12 हैक्टर में प्लास्टिक रिसाईकिल की फैक्ट्री लगी हुई है जो चालु स्थिति में है तथा एक शराब की दुकान (ढाबा) लगी हुई है एवं शेष रकबे में प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

पेज लगातार.....02

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/56
अनवान तहसीलदार बाली बनाम कमलादेवी वगैरा
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 852 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मौके पर 0.12 हैक्टर में प्लास्टिक रिसाईकिल की फैक्ट्री लगी हुई है जो चालु स्थिति में है तथा एक शराब की दुकान (ढाबा) लगी हुई है एवं शेष रकबे में प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग में लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम सेसली स्थित भूमि खसरा नंबर 852 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में **पटवारी हल्का, सेसली की मौका फर्द दिनांक 21.01.2022 के अनुसार प्रस्तुत नजरी नक्शा में मौके पर खातेदार द्वारा 0.12 हैक्टर में प्लास्टिक रिसाईकिल की फैक्ट्री लगी हुई है जो चालु स्थिति में है, को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है।** एवं शेष रकबा (0.48 हैक्टर) का पुनः मौका निरीक्षण करवाया जाये। यदि शेष रकबे (0.48 हैक्टर) पर भी अकृषि गतिविधियों पाई जाये तो पुनः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही न्यायालय में प्रस्तावित करने के निर्देश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(श्री दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 08-08-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner